न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन,

अपील संख्या: 76/2017 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2017/00227

1. श्रीमती मोनू कंवर पत्नि लाल सिंह जाति राजपूत साकिन मोकलसर तहसील सूरतगढ़।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत साकिन मोकलसर तहसील सूरतगढ़।
3. शनिदेव
4. सुश्री माया कंवर

पिसरान लाल सिंह नाबालिगान जरिये कुदरती माता मोनू कंवर पत्नि लाल सिंह जाति राजपूत साकिन मोकलसर तहसील सूरतगढ़।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. बलवन्त पुत्र रजिराम जाति जाट साकिन घमूडावाली हाल मोकलसर तहसील सूरतगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर।
3. तहसीलदार सूरतगढ़।
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय भादाणी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 31.05.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– ग्राम पंचायत मोकलसर के द्वारा दिनांक 05.11.2012 को विरासतन इन्तकाल संख्या 697 दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल ग्राम रोही मोकलसर के खसरा नंबर 205 एवं 216 की 12 बीघा 3.5 बिस्वा खातेदारी भूमि का दर्ज किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया था। भूमि मृत्तक लालसिंह के संयुक्त खाते के हिस्से की भूमि थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इन्तकाल संख्या 697 दिनांक 05.11.2012 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसमे दिनांक 16.05.2017 को न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को रिमाण्ड के आदेश पारित कर दिए। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के उक्त आदेश दिनांक 16.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत मोकलसर के द्वारा दिनांक 05.11.2012 को विरासतन इंतकाल संख्या 697 दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल ग्राम रोही मोकलसर के खसरा नंबर 205 एवं 216 की 12 बीघा 3.5 बिस्वा खातेदारी भूमि का दर्ज किया गया था। भूमि मृत्तक लाल सिंह के संयुक्त खाते में हिस्से की भूमि थी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष मेन्टेनेबल थी, लेकिन गलत रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में पेश कर दी गई। उक्त अपील इस न्यायालय में पेश ही नही हो सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि अपील इस न्यायालय में पेश नहीं हो सकती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि को 1982 से खरीद बता रहा है, किन्तु आज तक ना ही उसका कब्जा है और ना ही राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है। अपील में मियाद बिन्दु को तय किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश पारित कर दिये जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्री विजय भादाणी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि को मृत्तक लाल सिंह ने पूर्व में ही बलवन्त को बेचान कर दिया था। उक्त बेचान के आधार पर इंतकाल संख्या 733 दिनांक 12.04.1983 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में दर्ज हो गया, किन्तु उक्त इंतकाल संख्या 733 का अमलदरामद नहीं हुआ। अमलदरामद नहीं होने के कारण मृत्तक लाल सिंह के वारिसानों के हक में विरासतन इंतकाल दर्ज हो गया। मृत्तक लाल सिंह ने जीवित रहते हुए वादग्रस्त भूमि से संबंधित अपने अधिकार रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 1 को हस्तांतरित कर दिये थे। अब अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता ही नही रहा। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 में रिमाण्ड शब्द को हटाते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में दोनो पक्षों को इंतकाल की अपील की हद तक सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर